

न्यायालय जनपद न्यायाधीश, गोण्डा

प्रकीर्ण सिविल वाद सं०-264 / 2024

श्रीमती अनीता बनाम सत्य नरायन सिंह

दिनांक-09.03.2026

पत्रावली पेश हुई।

आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

विपक्षी प्रहलाद के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आए।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत प्रकीर्ण वाद पंजीकृत किये जाने के उपरान्त से आवेदक की ओर से प्रार्थना पत्र पर बल देन हेतु कोई उपस्थित नहीं आ रहा है और न ही आज कोई उपस्थित है। बार-बार पुकार कराये जाने पर भी कोई उपस्थित नहीं आया। ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को इस मामले में कोई रुचि नहीं रह गई है।

अतः प्रस्तुत प्रकीर्ण सिविल वाद आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किए जाने योग्य है।

आदेश

प्रकीर्ण सिविल वाद सं०-264 / 2024 श्रीमती अनीता बनाम सत्य नरायन सिंह, आवेदक की अनुपस्थिति में निरस्त किया जाता है।

जनपद न्यायाधीश,
गोण्डा